संख्याः1618/नौ-4-19-18ज/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2019

विषयः नगर निगमों/निकायों में पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 03.12.2012 एवं शासनादेश दिनांक 20.05.2014 को अंगीकृत (Adopt) किये जाने के संबंध में।

महोदय,

नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के पत्रांक-13/सी0ए0ओ0, दिनांक 15.4.2019 द्वारा निगम के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिक को पेंशन/पारिवारिक पेंशन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 03.12.2012 एवं शासनादेश दिनांक 20.05.2014 के अन्तर्गत प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन विभागीय नियमावली के अन्तर्गत प्रदान किये जाने के प्रकरण में पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता ग्राहय किये जाने हेतु वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1665/दस-2012-308/97, दिनांक 03.12.2012 एवं संख्या-1/सा-3-482/दस-2014-308/97, दिनांक 20.05.2014 को उ0प्र0पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1966 के नियम-47 के अधीन अंगीकृत (Adopt) किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आने वाला अतिरिक्त व्ययभार संबंधित निकायों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-1618(1)/नौ-4-19-18ज0/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतें द्वारा निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-9
6- नगर विकास के समस्त अनुभाग।
7- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव